मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59–अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./ 8385 /एनआर-4/MGNREGS-MP/2011 भोपाल, दिनांक 12/08/11

प्रति,

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
जिला.............................. समस्त (म.प्र.)

विषयः– **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी भुगतान हेतु वित्त व्यवस्था।**
संदर्भः– **प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 8253 दिनांक 10.08.11 एवं 8269 / एनआर 4 दिनांक 10.08.11**

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। स्कीम की मजदूरी भुगतान की सर्विस एरिया एप्रोच के माध्यम से क्रियान्वयन की जाने वाली व्यवस्था के बिंदुओं के संबंध में संलग्न चार्ट द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।

12/8/11
(शिव शेखर शुक्ला)
आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पृ0क्र0/ 8386 /एनआर-4/MGNREGS-MP/2011 भोपाल, दिनांक 12/08/11

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. समन्वयक, राज्य स्तरीय लीड बैंक, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित बैकों को सूचना प्रदान करें।
3. मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, डाक भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. मैनेजिंग डायरेक्टर, अपेक्स बैंक, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अति0जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला पंचायत .... (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक पालनार्थ, समय सीमा अंतर्गत।

12/8/11
आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद

Letter-DS.doc

मनरेगा मजदूरी भुगतान विषयक संशोधित वित्त व्यवस्था पर कृत कार्यवाही का अनुश्रवण पत्रक

क्र.	गतिविधि	समय सीमा	पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व	अद्यतन दिनांक तक की गई कार्यवाही का विवरण
1.	जिले का नोडल खाता लीड बैंक में स्थानांतरित करना	12/08/11	जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं संबंधित लीड बैंक	
2.	सब सर्विस एरिया बैंक (बैंक, आर.आर.बी. सहकारी बैंक, पोस्ट आफिस) का चिन्हांकन	20/08/11	जिला कार्यक्रम समन्वयक	
3.	सब सर्विस एरिया संस्थान द्वारा स्वयं के 5 किमी. त्रिज्या का विशिष्ट क्षेत्र सीमांकन	25/08/11	सब सर्विस एरिया संस्थान यथा आर.आर.बी, सहकारी बैंक एवं पोस्ट आफिस के स्थानीय प्रमुख	
4.	सब सर्विस एरिया संस्थानों द्वारा सर्विस एरिया बैंक में अपने–अपने खाते खुलवाना	28/08/11	सब सर्विस एरिया संस्थानों के स्थानीय प्रमुख	
5.	शेडो एरिया (वह क्षेत्र जो सब सर्विस एरिया द्वारा छूट गया है) में सर्विस एरिया बैंक द्वारा भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये वैकल्पिक उपाय के संबंध में निर्णय एवं सेवा प्रदाता का चयन*	30/08/11	संबंधित सर्विस एरिया बैंक प्रमुख	
6.	म.प्र. वित्तीय समावेशन माडल का प्रदेश में क्रियान्वयन प्रारंभ	01/09/11	समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक	

सर्विस एरिया ब्रांच – जिले में पहले से ही चिन्हित राष्ट्रीयकृत बैंक

सब सर्विस एरिया संस्थान – वित्तीय संस्थान जैसे पोस्ट आफिस, बैंक, आर.आर.बी., सहकारी बैंक जिनके माध्यम से मनरेगा मजदूरी का भुगतान होना है।

शेडो एरिया – वह भौगोलिक क्षेत्र जो कि सब सर्विस एरिया संस्थानों द्वारा पोषित नहीं हो सकता है।

वैकल्पिक व्यवस्था –
1. मोबाइल बैंकिंग
2. बी.सी.
3. बायोमेट्रिक ए.टी.एम.
4. कियोस्क बैंकिंग
5. सी.एस.सी.

नोट –

उपरोक्तानुसार जिला कार्यक्रम समन्वयक चिन्हांकन की कार्यवाही डी.एल.सी.सी. के माध्यम से सुनिश्चित करवाएंगे।